MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Alleged Interference in the Central Information Commission's Functioning

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, through you, I wish to draw the attention of the House to, what I consider, an unwarranted interference in the functioning of the Central Information Commission, set up under the Right to Information Act. Now, we have seen very many examples as to how the Government and vested interests in the bureaucracy have tried to dilute the Act. But the latest instance comes in a circular sent by the DoPT to the Central Information Commission, actually directing them as to how they should conduct the functioning of the Commission, which is a clear violation of Section 12(4) of the Act. Sir, as you know, every statutory commission must have the right to decide the way it is going to function. At present, the Information Commission, because of the huge workload it has, sets up independent commissions under various Commissioners to look at the various cases. At present, Sir, according to my information, the Commission has dealt with approximately 40,000 cases and appeals and complaints till June. Now, the Central Government, through the DoPT, has told the Commission that for every single case, major or minor, required or not required, the full bench has to sit. Is this at all practical, Sir? How can a full bench of the Commission with eight Commissioners sit for every single case that comes before the Commission? Clearly, this is something that would sabotage the entire functioning of the Commission and would make a mockery of the rights of every citizen to get the information he or she requires under the Act within a time limit. And this is what the Commission has strongly objected to. Since there may be some ambiguity because of this wrong interpretation of the Central Government, Karnataka has already amended the rules of their Act. So, if the Government feels that there is any ambiguity at all, then it is necessary as demanded by the Commission to have an additional promulgation of a certain set of rules which will make it very clear. In any case, Sir, I appeal to the Government not to sabotage the functioning of the Information Commission, to allow them to function according to their own methods and procedures and not to impose any authority by the Government which will destroy the autonomous functioning of the Commission. Therefore, that circular must be withdrawn at the earliest.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu); Sir, I associate myself with the statement made by the hon. Member.

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the statement made by the hon. Member.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Sir, I associate myself with the statement made by the hon. Member.

Lathi-charge on Lawyers in Uttar Pradesh

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और इस सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाही रवैये और उत्तर प्रदेश पुलिस की निरंकुशता की तरफ दिलाना चाहता हूं। सर, उत्तर प्रदेश में देवीपाटन एक मंडल है। उस मंडल का हैड क्वाटर गौंडा जनपद में बनने वाला था। वहां का जो बार एसोसिएशन है और जो वहां के वकील थे, वहां के जो आम निवासी थे, वे लोग चाहते थे कि कमिश्नरी मुख्यालय जो वहां कलेक्ट्रेट का परिसर है और उसके पास में ही दीवानी न्यायालय है, उसके पास एक खाली जमीन थी, वहां पर उस मुख्यालय को बनाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन कमिश्नरी मंडल के मुख्यालय को वहां से दूर बनाना चाहता था। इसी बात को लेकर के गौंडा बार एसोसिएशन लम्बे समय से, जनवरी 2009 से, वह मुख्यालय कचहरी परिसर में बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन कर रहा था। उनका जो आंदोलन था, वह शांतिपूर्वक धरना देने का जनवरी, 2009 से चल रहा था। इसी 9 जुलाई को वकीलों का एक जलूस शांतिप्रिय ढंग से निकाला, जो कचहरी परिसर में तीन-चार फर्लाग तक ही गया होगा, वहां पर पहले से सुनियोजित ढंग से पूरा जिला प्रशासन, वहां के एडीएम, एडिशनल एस.पी. और सैकड़ों की संख्या में पी.ए.सी. के जवान मौजूद थे। वहां पर वकीलों के जलूस के ऊपर सुनियोजित ढंग से लाठी चार्ज किया गया। इस लाठी चार्ज में सैकड़ों वकील तथा सैकड़ों आम लोग घायल हो गए। जिला चिकित्सालय में 78 वकीलों का मेडिकल परीक्षण हुआ और हद इतनी हो गई कि वहां से करीब तीन फर्लाग की दूरी पर बार एसोसिएशन का दफ्तर था, उसके अंदर पुलिस घुस गई। ...(समय की घंटी)... उसने वहां के वकीलों की फाइलों को फाड़ने का काम किया, उनके फर्नीचर को तोड़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री बृज भूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

Concern over the incident of a woman paraded naked in Agra

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आज सदन का ध्यान अलीगढ़ जनपद के ग्राम परियाल में घटी एक बहुत ही शर्मनाक और जंगलीय घटना की तरफ खीचना चाहता हूं। वहां गांव में प्रेम-प्रसंग को लेकर दो परिवारों में विवाद हुआ और उसी विवाद के चलते एक पक्ष जो लड़के का था, उसकी मां को दूसरे पक्ष के लोगों ने मारा-पीटा। उसको मारने-पीटने के बाद, नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। महोदय, यह सचमुच बहुत ही शर्मनाक घटना है, परन्तु यह घटना केवल अलीगढ़ की ही नहीं है, अक्सर समाचार-पत्रों में इस प्रकार की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार की घटना राजस्थान में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी और देश के अन्य हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है और इसका कारण यह है कि जो वहां की सरकार है, वहां की पुलिस है, उसे ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो कार्यवाही करनी चाहिए, वह नहीं की जाती है। अक्सर यह होता है कि जो जहां पर दबंग जाति का होता है या शक्तिशाली व बड़े परिवार का होता है अथवा कोई बड़ा आदमी, जिसकी राजनैतिक हस्ती होती है या दोलत की हस्ती होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ, स्थानीय पुलिस या स्थानीय अधिकारी कोई कार्यवाही करने से गुरेज करते हैं या हिचकते हैं। इसलिए में सदन के माध्यम से इस अत्यंत गंभीर मसले को उठाना चाहता हूं कि इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए